पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक / 1604 / सा.प्रशा. / कोविड–19 / एफ–01 / 2020 रायपुर, दिनांक 20 / 07 / 2020

प्रति,

अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ एवं
समस्त विभागीय अधिकारी,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– विश्वविद्यालय में कार्यालय संचालन के संबंध में ।

संदर्भः– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश क्रमांक एस डब्ल्यू / 2020 / 944, रायपुर, दिनांक 19.07.2020 ।

विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्ध्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अंतर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं प्रशासकीय विभागों में कार्य संचालन दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 रात्रि 12:00 बजे तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेगें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा।

स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इस अवधि में पूरे विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्तियों का बिना सक्षम स्वीकृति के प्रवेश वर्जित रहेगा।

आदेशानुसार

20.7.20

कुलसचिव

पृ. क्र. / 1605 / सा.प्रशा. / कोविड–19 / एफ–01 / 2020 रायपुर, दिनांक 20 / 07 / 2020

प्रतिलिपिः– 01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ ।
02. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ ।
03. कुलअनुशासक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा एजेंसी का सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
05. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।

वरिष्ठ अधीक्षक (प्रशा.)

- **नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा–निर्देशों का पालन करें।**
- **नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से खुद बचें तथा औरों को बचाएँ।**